

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगंज, जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी- श्री लोकेन्द्र चौधरी, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या:- 424/2016 (CIS No. 02/2016)

CNR No. RJBR130006242016

सरकार बनाम रविप्रकाश

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1 नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या:- 424/2016 (CIS No. 02/2016) CNR No. RJBR130006242016 सरकार बनाम रविप्रकाश	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.03.2026	<p>सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त रविप्रकाश जे.सी. से उपस्थित। गवाहान अनुपस्थित। इसी स्तर पर अभियुक्त ने स्वेच्छा से जर्मे अधिवक्ता जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रकरण का निस्तारण कराने बाबत् पेश किया, जिस पर साक्ष्य अभियोजन बंद की गई।</p> <p>अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया की गई जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।</p> <p>सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है, उसका यह प्रथम अपराध है तथा पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा विरोध करते हुए उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। देखने से जाहिर आता है कि अभियुक्त गरीब है, उसने लोक अदालत की भावना से स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया है। अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को पूर्व में किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं करने एवं परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिए जाने के संबंध में कथन किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को तुरंत कारावास के दण्ड से दण्डित करने के बजाए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(1) के तहत सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ना एवं अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p style="text-align: center;">-आदेश-</p> <p>परिणामस्वरूप अभियुक्त रविप्रकाश पुत्र देवीलाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी- नाहरगढ़, थाना नाहरगढ़, जिला बारां (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2 नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या:- 424/2016 (CIS No. 02/2016) CNR No. RJB130006242016 सरकार बनाम रविप्रकाश	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने के उपरांत आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(1) के तहत 01 वर्ष की अवधि हेतु 10,000/- रूपये का स्वयं मुचलका इन शर्तों के साथ पेश कर तस्दीक करा दें कि वह उक्त अवधि में सदाचारी रहेगा, परिशांति बनाए रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं बंधनामा की शर्तों का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा सजा भुगतने हेतु तलब करने पर तुरंत न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा, तो उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे। अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत 50/- रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाता है। साथ ही अभियुक्त को पूर्व में किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं करने एवं परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिए जाने के संबंध में शपथ-पत्र पेश किया जावे।</p> <p>प्रकरण में जव्तशुदा अवैध धारादार हथियार का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावे।</p> <p>मुताबिक आदेश अभियुक्त की ओर से प्रथम अपराध का शपथ-पत्र पेश किया और परिवीक्षा बाबत मुचलके पेश किए, जो तस्दीक किये गए। अभियुक्त ने अभियोजन व्यय की राशि 50/- रूपये जरिये आनलाईन जीआरएन नंबर 119723306 दिनांक 10.03.2026 को जमा करवाई।</p> <p>फौजदारी लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह जेल बारां को तहरीरी जारी करे कि अभियुक्त किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जावे।</p> <p>प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज, जिला बारां (राज.)</p>	